

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां
No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा तय करे, गारंटियां दे सकती है। सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से (i) उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी, (iii) उधार आदि के आधार पर सामग्री तथा उपस्कर की पूर्ति के लिए करारों के संबंध में अदायगी के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार यहां इस विवरण में दर्शाया गया है। ये गारंटियां भारत की समेकित निधि की आकस्मिक देयताएं होती हैं।

Under article 292 of the Constitution, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by Parliament by law. The statement here shows the position, as on 31st March 2013, of guarantees given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, local bodies, joint stock companies, co-operative institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India.

गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं और 31 मार्च, 2013 को गारंटीकृत बकाया राशियां क्रमशः लगभग ₹242915.11 करोड़ और ₹233768.85 करोड़ थीं।

The maximum amount of guarantee for which Government have entered into agreements, and sums guaranteed outstanding on 31st March 2013 were ₹242915.11 crores and ₹233768.85 crores approximately, respectively.

गारंटियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रालय/विभागवार विवरण नीचे दिए गए हैं:-

The Ministry/Department-wise details under different categories of guarantees are given below:—

भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ-ज़ारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कृषि मंत्रालय— MINISTRY OF AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग Department of Agriculture and Co-operation	0.23 (1)	0.23 (1)	—	0.23 (1)	—	—	—	—	—	—
वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE — आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	21266.98 (17)	20959.86 (17)	*307.12	—	—	—	21266.98 (17)	59.58	57.16	—

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय										
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION										
	54495.00	44495.00	**10000.00	—	—	—	54495.00	***—	—	—
	(2)	(2)					(2)			
उद्योग मंत्रालय —										
MINISTRY OF INDUSTRY —										
भारी उद्योग विभाग										
Department of Heavy Industry	479.01	479.01	—	—	—	—	479.01	19.58	5.70	—
	(9)	(9)					(9)			
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग										
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, KHADI & VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION (KVIC)										
	292.54	292.54	—	^4.54	—	—	288.00	62.75	—	—
	(1)	(1)					(1)			
रसायन और उर्वरक मंत्रालय—										
MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS—										
रसायन और पेट्रो रसायन विभाग										
Department of Chemicals and Petrochemicals										
	3.59	2.55	^^1.04	—	—	—	3.59	^^^—	—	—
	(1)	(1)					(1)			

* विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण समायोजन

* Adjustment owing to forex fluctuations.

** भारतीय खाद्य निगम नकद ऋण सीमा मंत्रालय के दिनांक 14.12.2012 के पत्र के द्वारा ₹44495.00 करोड़ से बढ़ाकर ₹54495.00 करोड़ कर दी गई है।

** Cash Credit limit of FCI has been increased from ₹44495.00 crore to ₹54495.00 crore vide letter dated 14.12.2012 of the Ministry .

*** मंत्रालय ने अपने दिनांक 25.4.2008 के पत्र द्वारा सरकार द्वारा निष्पादित एकल डिफाल्ट गारंटी के लिए देय गारंटी शुल्क को माफ कर दिया है।

*** Ministry vide its letter dated 25.4.2008 has waived the guarantee fee payable towards single default guarantee executed by the Government.

^ मंत्रालय ने सूचित किया है कि ₹4.54 करोड़ में से ₹2.50 करोड़ वित्तीय वर्ष 2011-12 से संबंधित है जिसे गलती से उस वर्ष में नहीं रखा गया।

^ Ministry has reported that ₹2.50 crore out of ₹4.54 crore pertains to FY 2011-12 which inadvertently could not be effected in that year.

^^ ब्याज की राशि होने के कारण जिसे गारंटी राशि में जोड़ा गया है।

^^ It being the amount of interest which has been added to the guarantee amount.

^^^ कोई गारंटी फीस प्राप्य नहीं है क्योंकि गारंटी पेट्रोफिल्स को-ऑपरेटिव लिमिटेड के संबंध में दी गई है जो समापनाधीन है।

^^^ No guarantee fee is receivable as the guarantee is given in respect of Petrofills Co-operative Ltd., which is under liquidation.

- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्दायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्दायगी के लिए दी गई गारंटियां:—
- (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

रसायन और उर्वरक मंत्रालय—

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS—

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

Department of Chemicals and Petro Chemicals

100.00	100.00	—	—	—	—	100.00	1.00	—	—
(1)	(1)					(1)			

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

7000.00	4400.00	2600.00	—	—	—	7000.00	45.02	45.02	—
(2)	(1)	(1)				(2)			

वित्त मंत्रालय —

MINISTRY OF FINANCE —

आर्थिक कार्य विभाग

Department of Economic Affairs

2136.18	2136.18	—	—	—	—	2136.18	—	—	—
(6)	(6)					(6)			

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक

वितरण मंत्रालय

MINISTRY OF CONSUMER

AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

8989.12	3989.12	5000.00	—	—	—	8989.12	—	—	—
(18)	(17)	(1)				(18)			

^ ब्याज की राशि होने के कारण जिसे गारंटी राशि में जोड़ा गया है।

^ It being the amount of interest which has been added to the guarantee amount.

* गारंटी शुल्क की अदायगी देय तारीख को न किए जाने के लिए जुर्माना लगाने से संबंधित है। इसको माफ करने के लिए एक प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

* Pertains to levy of Penalty for not making payment of Guarantee fee on due dates. A proposal for its waiver is under consideration of DEA, M/o Finance

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्त्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details	
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS	59.08 (4)	59.08 (4)	—	0.01 (1)	—	—	59.07 (3)	0.59	0.59	—
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	32.00 (1)	32.00 (1)	—	16.00	—	—	16.00 (1)	0.32	0.32	—
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY दूरसंचार विभाग DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS	1007.10 (2)	2.10 (1)	1005.00 (1)	—	—	—	1007.10 (2)	45.79	10.05	—

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्दायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियां:-
- (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION	32964.38 (20)	20062.13 (19)	12902.25 (1)	5513.64	—	—	27450.74 (20)	98.58	1.06	—
कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL	2095.33 (5)	2079.97 (5)	*15.36	249.81	—	—	1845.52 (5)	20.37	^23.09	—
विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	27994.88 (42)	24109.49 (42)	3885.39	2001.77	—	—	25993.11 (42)	295.22	295.22	—
वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE — आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	71147.28 (92)	63324.07 (90)	**7823.21 (2)	1064.76	—	—	70082.52 (92)	125.21	121.96	—
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड National Small Industries Corporation Limited	62.89 (3)	61.83 (3)	*1.06	2.03	—	—	60.86 (3)	0.69	0.41	—

* विनिमय दर में बदलाव के कारण

* Due to exchange rate variation.

^ ₹16.35 करोड़ की गारंटी शुल्क की राशि सहित जो वित्तीय वर्ष 2011-12 में बकाया थी।

^ Includes an amount of ₹16.35 crore of Guarantee fee which was outstanding in FY 2011-12.

** विनिमय दर में बदलाव किए जाने की वजह से समायोजन के कारण ₹7130.21 करोड़ की राशि शामिल है।

** Includes an amount of ₹7130.21 crore due to adjustment on account of exchange rate variation.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year		Guarantee Commission or Fee	Other material details		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS	700.44 (1)	659.13 (1)	^41.31	26.72	—	—	673.72 (1)	1.65	1.65	—
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	3182.00 (8)	2378.14 (8)	803.86	69.25	—	—	3112.75 (8)	27.66	*30.91	—
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	535.80 (2)	461.44 (2)	^74.36	84.42	—	—	451.38 (2)	1.11	**1.15	—
आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय MINISTRY OF HUPA	657.53 (2)	635.80 (2)	^21.73	^71.83	—	—	585.70 (2)	5.35	5.35	—

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

वाणिज्य विभाग										
DEPARTMENT OF COMMERCE	4.40	4.40	—	0.65	—	—	3.75	0.06	0.06	—
	(1)	(1)					(1)			
शहरी विकास मंत्रालय										
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT	209.26	—	209.26	—	—	—	209.26	2.51	—	—
	(2)		(2)				(2)			
विदेश मंत्रालय										
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS	5784.45	4407.20	1377.25	—	—	—	5784.45	—	—	—
	(2)	(1)	(1)				(2)			

- (iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों/दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों/निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में बैंकों को दी गई प्रति-गारंटियां:—
- (iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

इस्पात मंत्रालय										
MINISTRY OF STEEL	610.36	610.36	—	—	—	—	610.36	32.94	5.18	—
	(8)	(8)					(8)			

^ विनिमय दर में बदलाव के कारण

^ Due to exchange rate variation.

* इसमें वित्तीय वर्ष 2011-12 से संबंधित ₹0.97 करोड़ और ₹2.28 करोड़ के दो ऋण स्कॉल शामिल हैं किंतु जिन्हें वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान लेखे में लिया गया है।

* Includes two credit scrolls for ₹0.97 crore and ₹2.28 crore pertaining to FY 2011-12 but taken into account during FY 2012-13.

** इसमें वर्ष 2011-12 के लिए विदेश गारंटी के लिए ₹4.68 लाख का बकाया शामिल है लेकिन यह वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राप्त हुआ है।

** Includes an arrear of ₹4.68 lakh towards foreign guarantee for the FY 2011-12 but received in FY 2012-13.

(vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :-

(vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries:-

—शून्य / NIL —

(viii) कोई अन्य -

(viii) Any Other: —

— शून्य / NIL —

* यह ओमनीबस गारंटी जो पहले ही अभ्यर्पित की जा चुकी है, के संबंध में गारंटी शुल्क को दर्शाता है।

* It represents guarantee fee in respect of Omnibus guarantee which has already been surrendered.

** वित्त मंत्रालय द्वारा गारंटी शुल्क के भुगतान की आवश्यकता न होने पर निर्णय न होने तक एन बी सी सी ने इसका पूरा एवं अंतिम भुगतान के लिए 12.6.2012 को ₹2.99 करोड़ की राशि का भुगतान किया है।

** Pending decision on non-requirement to pay the guarantee fee by Ministry of Finance, NBCC paid an amount of ₹2.99 crore on 12.6.2012 towards full & final payment of it.